राजस्थान सरकार

# न्यायालय एकल माध्यस्थ राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परियोजना
# जिला कलक्टर, बालोतरा
## पीठासीन अधिकारी : सुशील कुमार, आई0ए0एस0

आर्बिट्रेशन प्रार्थना–पत्र सं. 01/2023

**प्रार्थी–**

1. श्रीमती शेरबानो पत्नी हाजी रसुल खां जाति मुसलमान, निवासी ग्राम मिठौड़ा तहसील सिवाना, जिला बालोतरा।

**बनाम**

**अप्रार्थीगण–**

1. श्रीमान सक्षम प्राधिकारी (भूमि आवप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, सिवाना।
2. श्रीमान परियोजना निर्देशक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, उम्मेद हैरिटेट जोधपुर। (भारतमाल परियोजना इकॉनोमिक कॉरिडोर अमृतसर–कांडला परियोना)

**माध्यस्थम प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 3जी(5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 विरूद्ध देवगढ़–सांचौर–सिवाना राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 754के के किमी. 455.243 से किमी 482.243 (सिवाना) तक सड़क निर्माण हेतु भूमि अवाप्ति के अवार्ड आदेश दिनांक 21.12.2020 जो सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी सिवाना द्वारा पारित किया गया।**

उपस्थिति :–

1. श्री कैलाश पुरी, अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।
2. श्री विनोद शर्मा, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 02 की ओर से उपस्थित।

**निर्णय**

**दिनांक :– 12.02.2025**

1. प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3जी राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के अप्रार्थी संख्या 1 भूमि अवाप्ति सक्षम अधिकारी के द्वारा जारी अवार्ड दिनांक 21.12.2021 के विरूद्ध दिनांक 25.05.2021 को न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर एवं दिनांक 11.12.2023 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।
2. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि सड़क परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अमृतसर–कांडला परियोजना (देवगढ, जिला जोधपुर–सांचौर, जिला जालोर) खण्ड के राष्ट्रीय राजमार्ग

जिला कलक्टर
बालोतरा

संख्या 754के के किमी. 455.243 से किमी 482.243 (सिवाना) तक के निर्माण (चौड़करण/पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेन का बनाने/चार लेन का बनाने, आदि) में तहसील सिवाना, जिला बालोतरा की तहसील सिवाना के गांवों (मुठली, पादरडी खुर्द, कल्याणसिंह की ढाणी, वालियाना, देवपुरा, धारणा, मिठौड़ा व पादरू) से संबंधित विनिर्दिष्ट भूखण्ड उक्त अधिनियम के तहत अवाप्त करने हेतु अधिसूचना दिनांक **5 जून 2018** को जारी कर उपखण्ड अधिकारी सिवाना को सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया गया। प्रार्थी की खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 883/663 रकबा 14.5363 (अवाप्त की गई भूमि 1.6623) हैक्टर बीघा मौजा मिठौड़ा, तहसील सिवाना, जिला बालोतरा में अवस्थित है। उक्त खसरा का अवार्ड भूमि आवाप्ति अधिकारी, सिवाना द्वारा उक्त खसरे में फलदार पौधा अनार की आयु 3 वर्ष मानकर आलोच्य अवार्ड दिनांक 21.12.2021 को पारित कर दिया। इससे असंतुष्ट होकर प्रार्थी द्वारा उक्त आलोच्य अवार्ड में संशोधन करते हुए उक्त खसरान की भूमि में फलदार पौधों की आयु 4 वर्ष 3 माह मानते हुए पुनः अवार्ड जारी करने हेतु प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

3. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस जवाब हेतु तलब किया गया एवं प्रश्नगत अभिलेख मंगवाया जाकर अवलोकन किया।

4. अप्रार्थी संख्या 1 ने जवाब में प्रकट किया कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अमृतसर–कांडला परियोजना (देवगढ, जिला जोधपुर–सांचौर, जिला जालोर) खण्ड के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 754के के किमी. 455.243 से किमी 482.243 (सिवाना) तक के निर्माण (चौड़करण/पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेन का बनाने/चार लेन का बनाने, आदि) में तहसील सिवाना, जिला बालोतरा की तहसील सिवाना के गांवों (मुठली, पादरडी खुर्द, कल्याणसिंह की ढाणी, वालियाना, देवपुरा, धारणा, मिठौड़ा व पादरू) से संबंधित विनिर्दिष्ट भूखण्ड उक्त अधिनियम के तहत अवाप्त करने हेतु अधिसूचना दिनांक 05 जून 2018 को जारी कर उपखण्ड अधिकारी सिवाना को सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया गया। उक्त मार्ग के निर्माण हेतु अवाप्ताधीन भूमि के लिए इस कार्यालय द्वारा भूमि अर्जन पुनर्वसन और पुनव्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 3जी के प्रावधानों के अनुसार मुआवजा निर्धारित कर अवाप्ताधीन भूमि स्थित अनार फलदार पेड़ों के मुआवजे का अवार्ड आदेश दिनांक 21.12.2021 को पारित किया गया था। फलदार पेड़ों का मुआवजा ग्राम मिठौड़ा के अवार्ड क्र स 19 सर्वेक्षण संख्या 3डी के अनुसार 883/663 खसरा संख्या में अवाप्त हो रही अनार के पेडों की संख्या 965, अनार के पेड़ों की आयु 3 वर्ष कार्यालय उद्यान निदेशालय, पंत, कृषि भवन जयपुर के पंत्रांक प. 11()नि.उ./

जिला कलक्टर
बालोतरा

नर्सरी/मुआवजा/2006–07/3545–3608 दिनांक 13.07.2006 एवं कार्यालय सहायक निदेशक उद्यान विभाग बाड़मेर कमांक 1536–41 दिनांक 15.12.2020 के अनुसार रूपये 1736.55/– के आधर पर कुल राशि 1675770.75/–रू निर्धारित की गयी है। जिसका मुआवजा प्राप्त करने हेतु इस कार्यालय में प्रार्थीया द्वारा मुआवजा के संबंध में आदिनांक तक कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया तथा प्रार्थी द्वारा श्रीमान के समक्ष अपने प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तारबंदी, भूमिगत पाईप लाईन आदि का भी मुआवजा चाहा गया है। जो कि भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्वरूवस्थापन में उचित प्रतिकर और पादरर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 29 के अनुसार अवाप्त स्थावन सम्पति का मुआवजा निर्धारण किये जाने का प्रवधान है। मुवेबल प्रोप्रटी के मुआवजा निर्धारण का प्रावधान नहीं किया गया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य केवलमात्र भम्रिक होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारहीन तथ्यों के आधार पर होने से खारीज फरमाया जावे।

5. अप्रार्थी संख्या 2 ने जवाब में प्रकट किया कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अमृतसर–कांडला परियोजना (देवगढ, जिला जोधपुर–सांचौर, जिला जालोर) खण्ड के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 754के के किमी. 455.243 से किमी 482.243 (सिवाना) तक के निर्माण (चौड़करण/पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेन का बनाने/चार लेन का बनाने, आदि) में तहसील सिवाना, जिला बालोतरा की तहसील सिवाना के गांवों (मुठली, पादरडी खुर्द, कल्याणसिंह की ढाणी, वालियाना, देवपुरा, धारणा, मिठौड़ा व पादरू) से संबंधित विनिर्दिष्ट भूखण्ड उक्त अधिनियम के तहत अवाप्त करने हेतु अधिसूचना दिनांक 05 जून 2018 को जारी कर उपखण्ड अधिकारी सिवाना को सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया गया। अवाप्तधीन भूमि की राजस्व रिकॉर्ड अनुसार तहसीलदार/गिरदावर/पटवारी आदि राजस्व अधिकारियों/कर्मचारियों से जांच करवाये जाने के उपरांत अनुमोदन करने के बाद केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 3ए की उपधारा 1 के तहत अधिसूचना का.आ. 3905 दिनांक 03.08.2018 को प्रकाशन किया गया। केन्द्र सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा सक्षम प्राधिकारी की रिपोर्ट प्राप्त होने जाने के पश्चात् अधिनियम 1956 की धारा 3डी के अन्तर्गत अधिसूचना का.आ. 6168 दिनांक 11.12.2018 राजपत्र में जारी की गयी एवं दो समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका व दैनिक भास्कर में दिनांक 07.01.2019 को प्रकाशन किया गया। धारा 3जी के अनुसार अवाप्तसुदा भूमि का मुआवजा निर्धारण से पूर्व धारा 3डी की अधिसूचना, जो कि राजस्थान पत्रिका व दैनिक भास्कर दोनों में प्रकाशित की गयी थी, जिससे सम्बधित सभी हितबद्ध व्यक्तियों से धारा 3जी(3) व (4) के अन्तर्गत सार्वजनिक सूचना जारी कर स्वयं या विधिक अधिवक्ता के माध्यम से दावे मांगे गये।

जिला कलक्टर
बालोतरा

निर्धारण अवधि में प्राप्त दावे का निस्तारण किया गया। प्रार्थीगण द्वारा धारा 3 डी की अधिसूचना का प्रकाशन होने पर प्रश्नगत अनार के पौधो की आयु अवाप्त भूमि धारा 3ए की जारी अधिसूचना दिनांक 03.08.2018 के तत्समय 4 वर्ष 3 माह के होने के सबंध में कोई आपति मय दस्तावेज निर्धारित समयावधि में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गये। अधिनियम 1956 की धारा 3ए की अधिसूचना दिनांक 03.18.2018 के तत्समय अवाप्त भूमि में अनार के पेड़ों की आयु 4 वर्ष 3 माह नहीं थी। धारा 3ए के तत्समय भूमि की स्थिति के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवाप्तशुदा भूमि का जो मुआवजा राशि निर्धारित कर अवार्ड परित किया गया था, व सम्पूर्ण राजस्व रिकार्ड एवं तथ्यों के आधार पर पूर्णतया विधि के प्रवधानों के अन्तर्गत सही पारित किया गया है। प्रार्थी इसके अतिरिक्त अन्य कोई राशि प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

6. अधिवक्ता प्रार्थी के योग्य अधिवक्ता ने दौराने बहस में कथन किया कि प्रार्थी के नाम खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 883/663 रकबा 14.5363 (अवाप्त की गई भूमि 1.6623) हैक्टर बीघा मौजा मिठौडा, तहसील सिवाना में अवस्थित है। प्रार्थी का संयुक्त हिस्सा 2/3 रकबा 09.6908 हैक्टयर यानि 59 बीघा 17 विस्वा के करीबन भूमि आती है। उक्त भूमि में अनार की बुवाई की हुई है। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अमृतसर–कांडला परियोजना (देवगढ, जिला जोधपुर–सांचौर, जिला जालोर) खण्ड के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 754के के किमी. 455.243 से किमी 482.243 (सिवाना) तक के निर्माण (चौड़करण/पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेन का बनाने/चार लेन का बनाने, आदि) में तहसील सिवाना, जिला बालोतरा की तहसील सिवाना के गांवों (मुठली, पादरडी खुर्द, कल्याणसिंह की ढाणी, वालियाना, देवपुरा, धारणा, मिठौड़ा व पादरू) से संबंधित विनिर्दिष्ट भूखण्ड उक्त अधिनियम के तहत अवाप्त करने हेतु अधिसूचना दिनांक 05 जून 2018 को जारी कर उपखण्ड अधिकारी सिवाना को सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया गया। उक्त अवाप्तसुदा भूमि धारा 3ए का.आ. 3905 दिनांक 03.08.2018 एवं धारा 3डी के अन्तर्गत अधिसूचना का.आ. 6168 दिनांक 11.12.2018 को जारी की गई। प्रार्थी अपने उक्त हिस्सा खेत भूमि में जनवरी 2017 में खेत को उपजाउ कर कुल अनार के पौधे 3600 के करीबन बुवाई की थी, जो अनार पौधे की फसल आज रोज करीबन 04 वर्ष 03 माह के है। उक्त विज्ञप्ति अनुसार प्रार्थी के अपने हिस्सा 2/3 की भूमि में खड़े 3500 अनार के पौधों में से करीबन 965 अनार के 04 वर्ष 03 माह आयु के पौधे भी एक मात्र प्रार्थी के हिस्सा की भूमि में खड़े होने से अवाप्ति की कार्यवाही में नष्ट हो रहे है। रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा प्रार्थी के हक में जारी फलदार अनार के पाधें की

जिला कलक्टर
बालोतरा

अवार्ड राशि पौधों की आयु गणना 03 वर्ष का आंकलन करते हुए प्रति पौधा रू 587.85 गुणा 3=1736.55 रू से गणना कर कुल राशि 16,75,770.75 रू का अवार्ड से संबंधित नोटिस दिनांक 01.02.2021 को जारी किया गया। प्रार्थी द्वारा रेस्पोडेंट संख्या 01 के समक्ष उपस्थित होकर माह फरवरी 2021 में एवं दिनांक 16.03.2021 में आपति दर्ज करवाई गई। प्रार्थी के अनार के पौधें की आयु 04 वर्ष 3 माह करीबन आयु के है, लेकिन बावजुद आपति अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा उक्त खसरा में अनार के पेडों की आयु 03 वर्ष मानकर आलोच्य अवार्ड जारी किया गया, जो कि विधि विरूद्ध कानूनन गलत तौर पर आलोच्य अवार्ड पारित किया गया है, जो खारिज योग्य है।

7. अधिवक्ता प्रार्थी के योग्य अधिवक्ता ने दौराने बहस में यह भी कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा मौका निरीक्षण कर अनार के पौधों की वास्तविक आयु 04 वर्ष 3 माह की गणना करते हुए व अवार्ड राशि रूपये 5546/– प्रति पौध की गणना करते हुए अवार्ड राशि जारी करनी थी, लेकिन रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा उक्त अवार्ड की राशि मात्र 1736.55 रूपये के हिसाब से कर दावेदार प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति पहूंचाई जा रही है, जिसे प्रार्थी को करीबन 40 लाख रूपये का नुकसान हो रहा है। उक्त अनार के पौधे 965 निजी तौर पर एकमात्र प्रार्थी के कब्जा काश्त खातेदारी भूमि में खड़े नष्ट हो रहे है, जिससे एक मात्र प्रार्थी को ही नुकसान हो रहा है, अन्य खेत खातेदारान के हिस्सा भूमि में अनार के पौधे नहीं है। प्रार्थी के हिस्से की अवाप्तसुदा भूमि में खड़े 965 अनार के पौधे 04 वर्ष 03 माह के है, जिन्हे गलत तौर पर 03 वर्ष की गणना कर मुआवजा राशि का अवार्ड जारी करना सर्वथा गलत है। प्रार्थी द्वारा तथ्य पेश करने के बावजुद भी आज रोक तक दावेदार प्रार्थी को हो रहे नुकसान का संज्ञान नहीं लिया गया, न ही उसे किसी तरह से राहत दी गई, जिस प्रार्थी को भारी नुकसान हो रहा है। अधिनियम 1956 के तहत अधिकृत की गई भूमि में भूमि अर्जन, पुनवार्सन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के तहत एवं उचित मुआवजा की सही व सत्य सरकारी डी एल सी से गणना कर, उचित मुआवजा देना अनिवार्य है, लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रार्थी की भूमि पर खड़े पौडों का सही सत्य विभागीय जांच दस्तावेजी एंव भौतिक सत्यापन के आधार पर नहीं किया गया एवं महज आनन फानन में दस्तावेजात को पूर्ण करते हुए भौतिक सत्यापन किये बिना पौधों की आयु की गणना किये बिना आलौच्य अवार्ड जारी गया है। अतः अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अवाप्त सुदा भूमि उक्त खसरा में अनार के पेडों की आयु 03 वर्ष मानकर आलोच्य अवार्ड जारी किया गया, को निरस्त करते हुए अवाप्त सुदा भूमि में प्रार्थी के अनार के पौधें की आयु 04 वर्ष 3 माह मानते हुए पुनः अवार्ड जारी करने का आदेश फरमावे।

जिला कलक्टर
बालोतरा

8. अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 के योग्य अधिवक्ता ने दौराने बहस में कथन किया राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अमृतसर–कांडला परियोजना (देवगढ, जिला जोधपुर–सांचौर, जिला जालोर) खण्ड के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 754के के किमी. 455.243 से किमी 482.243 (सिवाना) तक के निर्माण (चौड़करण/पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेन का बनाने/चार लेन का बनाने, आदि) में तहसील सिवाना, जिला बालोतरा की तहसील सिवाना के गांवों (मुठली, पादरडी खुर्द, कल्याणसिंह की ढाणी, वालियाना, देवपुरा, धारणा, मिठौड़ा व पादरू) से संबंधित विनिर्दिष्ट भूखण्ड उक्त अधिनियम के तहत अवाप्त करने हेतु अधिसूचना दिनांक 05 जून, 2018 को जारी कर उपखण्ड अधिकारी सिवाना को सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया गया। प्रार्थी की खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 883/663 रकबा 14.5363 (अवाप्त की गई भूमि 1.6623) हैक्टर बीघा मौजा मिठौडा, तहसील सिवाना में अवस्थित है। उक्त खसरा नंबर की 1.6623 हैक्टर बीघा भूमि अवाप्त की गई। उक्त खसरान की भूमि अवाप्त हेतु 3ए की अधिसूचना का.आ. 3905 दिनांक 03.08.2018 को जारी की गई, जिसका जन साधारण को सूचित करने हेतु समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका व दैनिक भास्कर में दिनांक 31.08.2018 को प्रकाशित किया गया व धारा 3डी के अन्तर्गत अधिसूचना का.आ. 6168 दिनांक 11.12.2018 को जारी की गई, जिसका जन साधारण को सचित करने हेतु समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका व दैनिक भास्कर में दिनांक 07.01.2019 को प्रकाशित किया गया। धारा 3ए के अन्तर्गत जारी अधिसूचना का प्रकाशन होने के बाद धारा 3सी के तहत 21 दिन के अन्दर कोई भी हितधारी अपनी आपतियां सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है तथा सक्षम प्राधिकारी उक्त व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् आपतियों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। प्रार्थीगण द्वारा धारा 3ए की अधिसूचना की कार्यवाही के संबंध में कोई आपति मय दस्तावेज निर्धारित समयावधि में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई। सक्षम प्राधिकारी द्वारा धारा 3सी के अन्तर्गत समस्त प्राप्त आक्षेपों पर विचार कर उन्हें निर्णित करने के पश्चात् अवाप्तधीन भूमि की राजस्व रिकॉर्ड अनुसार तहसीलदार/गिरदावर/पटवारी आदि राजस्व अधिकारियों/कर्मचारियों से जांच करवाये जाने के उपरांत अधिसूचना धारा 3डी का मसौदा तैयार बाद अनुमोदन कर अपनी रिपोर्ट केन्द्र सरकार को भेजा जाता है। इसके पश्चात् धारा 3डी के अन्तर्गत अधिसूचना का. आ. 6168 दिनांक 11.12.2018 को जारी की गयी एवं जन साधारण को सूचित करने के लिए दो समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका व दैनिक भास्कर में दिनांक 07.01.2019 को प्रकाशन किया गया तथा धारा 3डी की अधिसूचना के पश्चात् उसमें वर्णित भूमि सभी विल्लंग्मों से मुक्त होकर केन्द्र सरकार में निहित हो गई। समस्त हितबद्ध व्यक्तियों से धारा 3जी (3) व

जिला कलक्टर
बालोतरा

(4) के अन्तर्गत सार्वजनिक सूचना जारी कर स्वयं या विधिक अधिवक्ता के माध्यम से दावे मांगे गयें। निर्धारित अवधि में जो दावे प्राप्त हुए, उन्हें सुनकर उनका निस्तारण किया गया है, लेकिन प्रार्थीगण द्वारा धारा 3डी की अधिसूचना का प्रकाशन होने पर प्रश्नगत अनार के पौधों की आयु के संबंध में धारा 3ए की जारी अधिसूचना दिनांक 03.08.2018 के तत्समय 4 वर्ष 3 माह के होने के संबंध में कोई आपति मय दस्तावेज निर्धारित समयावधि में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गये। सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिनियम 1956 की धारा 3जी में दिये गये निर्देशों की पालना में एवं भूमि अर्जन, पुनवार्सन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के तहत एवं धारा 3ए की अधिसूचना दिनांक 03.08.2018 के तत्समय में अवाप्तसुदा भूमि की भौतिक स्थिति, राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किस्म, प्रचलित बाजार दर व डीएलसी दर आदि की स्थिति के अनुसार उक्त अवाप्त सुदा भूमि का निर्धारित मुआवजा आलोच्य अवार्ड जारी किया गया है। इस प्रकार प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आधारहीन तथ्यों एवं सारहीन होने पर खारीज योग्य है।

9. अप्रार्थी के योग्य अधिवकता ने दौराने बहस यह भी कथन किया कि सक्षम प्राधिकारी ने धारा 3ए की अधिसूचना की दिनांक 03.08.2018 को भूमि की प्रचलित दर के अनुसार मुआवजा राशि का निर्धारण कर भूमि अवार्ड जारित कर दिया गया, इसलिए अवाप्त भूमि के मुआवजे के अनुसार ही पेड़ पौधों के मुआवजे का निर्धारण भी धारा 3ए की अधिसूचना की दिनांक 03.08.2018 की स्थिति अनुसार मौदूजा अनार के पेड़ की आयु, स्थिति आदि मानकों से संबंधित ठोस साक्ष्य लेकर उनको ध्यान में रखते हुए किया गया है। अप्रार्थी संख्या 1 सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवाप्त भूमि पर स्थित 965 अनार के पौधों की तैयार मूल्यांकन रिपोर्ट का भौतिक सत्यापन करवाया गया व पौधों की गिनती करवायी गइ। पटवारी हल्का से गिरदावरी प्राप्त कर गिरदावरी अनुसार पौधों की आयु की गणना की गइ। सहायक निदेशक उद्यान, बाड़मेर की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने प्रार्थी के समस्त पौधों की आयु 3 वर्ष मानी है। तदोपरान्त बाड़मेर व जोधपुर की फल मंडियों से अनार के पौधों का औसत बाजार भाव प्राप्त कर उपज के आधार पर अनार के पौधों की मुआवजा राशि की गणना की गई। कमेटी ने प्रार्थी के 3 वर्ष के प्रति पौधें का मूल्य राशि 1736.55/– रूपये माना है, जिसके अनुसार सक्षम प्राधिकारी ने प्रार्थी के प्रश्नगत 965 पौधों की कुल मुआवजा राशि 16,75,770.75/–रू निर्धारित कर दिनांक 21.12.2021 को फलदार पेड़ों के मुआवजा का अवार्ड आदेश पारित कर दिया गया। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रार्थी के 965 अनार के पौधों की आयु 3 वर्ष मानकर मुआवजा राशि का निर्धारण किया गया है, लेकिन प्रार्थी अनार के पौधों की आयु 3 वर्ष नहीं मानकर बिना किसी आधार के 4 वर्ष 3

जिला कलक्टर
बालोतरा

माह बता रहा है, जबकि देखा जाए तो भूमि अवाप्ति अधिसूचना अन्तर्गत धारा 3ए के तत्समय प्रार्थी के पौधें 3 वर्ष के भी नही थे। प्रार्थी स्वयं ने मद संख्या 2 में स्वीकार करते हुए कथन किया कि प्रश्नगत 965 अनार के पौधों को वर्ष 2017 में खेत को उपजाउ कर बुआई की थी, जो आज रोज अर्थात प्रार्थना पत्र पेश करने की दिनांक 05.04.2021 को करीबन 4 वर्ष 3 माह के है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा वर्ष 2017 में अनार के 965 पौधों की बुआई करना स्वीकार किया है और प्रस्तुत प्रकरण में अवाप्ति अधिसूचना अन्तर्गत धारा 3ए वर्ष 2018 में जारी की गई थी। धारा 3ए के वर्ष 2018 की स्थितिनुसार प्रार्थी के प्रश्नगत पौधे करीबन मात्र 1 वर्ष के थे। साथ ही प्रार्थी ने मद संख्या 5 में अंकित किया है कि प्रार्थी ने प्रश्नगत 965 अनार के पौधे की आयु 4 वर्ष 3 माह के होने के संबंध में प्रथम आपति फरवरी 2021 में व द्वितीय आपति दिनांक 16.03.2021 को सक्षम प्राधिकारी सिवाना के समक्ष पेश की गयी, जो कि धारा 3ए की अधिसूचना दिनांक 03.08.2018, धारा 3डी की अधिसूचना दिनांक 11.12.2018 के जारी होने व अवार्ड दिनांक 21.12.2021 के पारित होने के बाद पेश किया जाना साबित होता है, जबकि कानूनन धारा 3ए व 3डी के तहत जारी अधिसूचना के प्रकाशन की निर्धारित अवधि में ही आपति दर्ज करायी जा सकती है, न कि जारी अधिसूचनाओं के प्रकाशन की अवधि समाप्त होने के बाद दर्ज करायी जा सकती है। इसलिए प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 03.02.2020 को दर्ज करायी गई आपति अवधि बाहर है, जिस पर कोई कार्यवाही व जांच कानूनन नहीं की जा सकती है। धारा 3ए के तत्समय में फलदार पेड़ की गिनती राजस्व विभाग से करवायी गई व गिरदावरी के अनुसार आयु, उपज व बाजार भाव का निर्धारण सहायक निदेशक उद्यान की अध्यक्षता में कठित कमेटी द्वारा किया गया। तदनुसार फलदार पेड़ की मुआवाजा राशि का निर्धारण कर अवार्ड पारित किया गया। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

10. हमने उभयपक्ष के अधिवक्तागण द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं प्रस्तुत अभिलेखों का अवलोकन किया जिससे यह पाया जाता है कि सड़क परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अमृतसर–कांडला परियोजना (देवगढ, जिला जोधपुर–सांचौर, जिला जालोर) खण्डके राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 754के के किमी. 455.243 से किमी 482.243 (सिवाना) तक के निर्माण (चौड़करण/पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेन का बनाने/चार लेन का बनाने, आदि) में तहसील सिवाना, जिला बालोतरा की तहसील सिवाना के गांवों (मुठली, पादरडी खुर्द, कल्याणसिंह की ढाणी, वालियाना, देवपुरा, धारणा, मिठौड़ा व पादरू) से संबंधित विनिर्दिष्ट भूखण्ड उक्त अधिनियम के तहत अवाप्त

जिला कलक्टर
बालोतरा

करने हेतु अधिसूचना दिनांक 05 जून 2018 को जारी कर उपखण्ड अधिकारी सिवाना को सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया गया। उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण हेतु प्रार्थी की खातेदारी की भूमि मौजा मिठौड़ा, तहसील सिवाना, जिला बालोतरा के खसरा संख्या 883/663 रकबा 14.5363 में से 1.6623 हैक्टर बीघा भूमि अवाप्त की गई थी। उक्त खसरान की भूमि अवाप्त हेतु 3ए की अधिसूचना का.आ. 3905 दिनांक 03.08.2018 को जारी की गई, जिसका जन साधारण को सूचित करने हेतु समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका व दैनिक भास्कर में दिनांक 31.08.2018 को प्रकाशित किया गया व धारा 3डी के अन्तर्गत अधिसूचना का.आ. 6168 दिनांक 11.12.2018 को जारी की गई, जिसका जन साधारण को सूचित करने हेतु समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका व दैनिक भास्कर में दिनांक 07.01.2019 को प्रकाशित किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी की मुख्य आपति यह है कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा उक्त खसरा संख्या 883/663 की अवाप्तसुदा भूमि के आलोच्य अवार्ड प्रार्थी के अवाप्तसुदा भूमि में फलदार पेड़ों की आयु 4 वर्ष 3 माह मानकर करना चाहिए था, लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 समक्ष प्राधिकारी, उपखण्ड अधिकारी द्वारा आलोच्य अवार्ड फलदार पेड़ों की आयु 3 वर्ष मानते हुए किया गया हैं, को निरस्त करते हुए उक्त खसरान की अवाप्तसुदा भूमि में फलदार पेड़ों की आयु 4 वर्ष 3 माह मानकर पुनः अवार्ड जारी किया जाए। इस प्रकरण में यह देखना आवश्यक है कि अधिनियम 1956 की धारा 3जी(7)(ए) के अनुसार अवाप्तधीन भूमि व उस अवस्थित सरंचनाओं/परिसंपतियों, भौतिक स्थिति, पेड़ की आयु आदि के मुआवजे का निर्धारण धारा 3ए की अधिसूचना की तारीख को प्रचलित मूल्य, स्थिति आदि को ध्यान में रखते हुए किया जाता है तथा धारा 3ए की अधिसूचना के बाद अवाप्त भूमि पर कोई निर्माण या परिवर्तन होने पर मुआवजा देय नहीं होगा। इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी से तलब किया गया मूल अभिलेख अवलोकन किया जिसमें पाया जाता है कि सहायक निदेशक उद्यान की अध्यक्षता में गठित कमेटी जो फलदार पौधों की आयु, औसत उपज व बाजार भाव निकालने में दक्ष थी, के द्वारा प्रार्थी के 965 अनार के पौधों की आयु 3 वर्ष मानकर मुआवजा राशि का निर्धारण करना बताया गया एवं अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा धारा 3ए अधिसूचना जारी 03.08.2018 के तत्समय प्रचलित बाजार मूल्य, स्थिति आदि को ध्यान में रखते हुए आलोच्य अवार्ड पारित होना पाया गया। पत्रावली के संलग्न सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रस्तुत जवाब में उक्त मार्ग के निर्माण हेतु फलदार पेड़ों का मुआवजा ग्राम मिठौड़ा के अवार्ड क्र स 19 सर्वेक्षण संख्या 3डी के अनुसार 883/663 खसरा संख्या में अवाप्त हो रही अनार के पेडों की संख्या 965, अनार के पेड़ों की आयु 3 वर्ष कार्यालय उद्यान निदेशालय, पंत, कृषि भवन जयपुर के पंत्रांक प. 11()नि.उ. /नर्सरी/मुआवजा/2006–07/3545–3608 दिनांक 13.07.2006 एवं कार्यालय सहायक

जिला कलक्टर
बालोतरा

निदेशक उद्यान विभाग बाड़मेर कमांक 1536–41 दिनांक 15.12.2020 के अनुसार रूपये 1736.55/–के आधर पर कुल राशि 1675770.75/–रू निर्धारित की गयी है, जिसका मुआवजा प्राप्त करने हेतु इस कार्यालय में प्रार्थीया द्वारा मुआवजा के संबंध में आदिनांक तक कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया तथा इस कार्यालय द्वारा भूमि अर्जन पुनर्वसन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 3जी के प्रावधानों के अनुसार मुआवजा निर्धारित कर अवाप्ताधीन भूमि के मुआवजे का अवार्ड आदेश दिनांक 21.12.2021 को पारित होना बताया गया। साथ ही अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रार्थी के 965 अनार के पौधों की आयु 3 वर्ष मानकर मुआवजा राशि का निर्धारण किया गया है, लेकिन प्रार्थी अनार के पौधों की आयु 3 वर्ष नहीं मानकर बिना किसी आधार के 4 वर्ष 3 माह बता रहा है, जबकि देखा जाए तो भूमि अवाप्ति अधिसूचना अन्तर्गत धारा 3ए 03.08.2018 के तत्समय प्रार्थी के पौधें 3 वर्ष के भी नही थे। इस संबंध में प्रार्थी स्वयं ने मद संख्या 2 में स्वीकार करते हुए कथन किया कि प्रश्नगत 965 अनार के पौधों को वर्ष 2017 में खेत को उपजाउ कर बुआई की थी, जो आज रोज अर्थात प्रार्थना पत्र पेश करने की दिनांक 05.04.2021 को करीबन 4 वर्ष 3 माह के है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा वर्ष 2017 में अनार के 965 पौधों की बुआई करना स्वीकार किया है और प्रस्तुत प्रकरण में अवाप्ति अधिसूचना अन्तर्गत धारा 3ए वर्ष 2018 में जारी की गई थी। धारा 3ए के वर्ष 2018 की स्थितिनुसार प्रार्थी के प्रश्नगत पौधे करीबन मात्र 1 वर्ष के थे। इससे स्पष्ट यह होता है कि धारा 3ए की अधिसूचना दिनांक 03.08.2018 को अप्रार्थी शेरबानो की अवाप्त की गई भूमि में फलदार पेड़ की आयु 4 वर्ष 3 माह नहीं थी। उक्त अधिसचूना दिनांक 03.08.2018 के बाद किसी भी भूमि पर किसी प्रकार का निर्माण/पेड़ पौधे आरोपित किये गये हो तो उसका काई मुआवजा देने का प्रावधान नहीं है। अलावा इसके प्रार्थीगण द्वारा धारा 3ए एवं 3डी की अधिसूचना की कार्यवाही के संबंध में कोई आपति मय दस्तावेज निर्धारित समयावधि में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई। लेकिन प्रार्थी ने संख्या 5 में अंकित किया है कि प्रार्थी ने प्रश्नगत 965 अनार के पौधे की आयु 4 वर्ष 3 माह के होने के संबंध में प्रथम आपति फरवरी 2021 में व द्वितीय आपति दिनांक 16.03.2021 को सक्षम प्राधिकारी सिवाना के समक्ष पेश की गयी, जो कि धारा 3ए की अधिसूचना दिनांक 03.08.2018, धारा 3डी की अधिसूचना दिनांक 11.12.2018 के जारी होने व अवार्ड दिनांक 21.12.2020 के पारित होने के बाद पेश किया जाना साबित होता है, जबकि कानूनन धारा 3ए व 3डी के तहत जारी अधिसूचना के प्रकाशन की निर्धारित अवधि में ही आपति दर्ज करायी जा सकती है, न कि जारी अधिसूचनाओं के प्रकाशन की अवधि समाप्त होने के बाद दर्ज करायी जा सकती है। इसलिए प्रार्थीगण द्वारा दिनांक प्रथम

जिला कलक्टर
बालोतरा

आपति फरवरी 2021 में व द्वितीय आपति दिनांक 16.03.2021 को दर्ज करायी गई आपति अवधि बाहर है, जिस पर कोई कार्यवाही व जांच कानूनन नहीं की जा सकती है। इससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थी द्वारा **"राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3सी के तहत 21 दिन के अन्दर कोई भी भू हितधारी अपनी आपतियां सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है"**, की पालना नहीं की गई। जहां तक प्रार्थी के अधिवक्ता का मूल अभिकथन हैं कि प्रार्थी के उक्त खसरा संख्या के अवाप्तसुदा भूमि में फलदार पेड़ों की आयु 4 वर्ष 3 माह थी, तो इसके समर्थन मे प्रार्थी की ओर से ऐसा कोई ठोस साक्ष्य दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया, जिससे यह साबित हो कि तत्समय अधिनियम की धारा 3ए अधिसूचना जारी दिनांक 03.08.2018 को प्रार्थी के उक्त खसरा संख्या के अवाप्तसुदा भूमि में फलदार पेड़ों की आयु 4 वर्ष 3 माह थी। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 1 भूमि अवाप्ति अधिकारी(उपखण्ड अधिकारी), सिवाना द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांक 21.12.2021 अवलोकन से स्पष्ट जाहिर होता है कि सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति), सिवाना ने अधिनियम 1956 व अधिनियम 2013 के समस्त लागू प्रावधानों का पूर्ण पालना करते हुए अवार्ड पारित गया है, जिसमें कोई हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

11. अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह आर्बिट्रेशन प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर प्रार्थी के पक्ष में उक्तानुसार पारित अवार्ड यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

12. निर्णय आज दिनांक 12.02.2025 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मद्रांकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुशील कुमार)
एकल माध्यस्थ
राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परियोजना
जिला कलक्टर, बालोतरा।